[2019] 9 एस. सी. आर. 1001

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
बनाम
गायत्री झाँसी रोड लिमिटेड

(सिविल अपील नं० 5383 / 2019)
10 जुलाई, 2019

[न्यायमूर्ति आर. एफ. नारीमन एवं न्यायमूर्ति सूर्या कांत]

माध्यस्थमः- मध्यस्थ का शुल्क-क्या मध्यस्थता अधिनियम के चतुर्थ अनुसूची द्वारा शासित किया जाना पक्षकारों के मध्य समझौते का उल्लंघन करता है- पारितः मध्यस्थ के शुल्क का निर्धारण पक्षकारों के मध्य समझौता द्वारा किया जायेगा न की मध्यस्थता अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची द्वारा- माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 [मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित]-चतुर्थ अनुसूची।

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम,1996

धारा 31 (8) सपठित धारा 31 ए – सीमा - पारितः धारा 31 (8) सपठित धारा 31 ए मात्र खर्चे से संबंधित है न की मध्यस्थ के शुल्क से - यह सत्य है कि मध्यस्थ का शुल्क किये जाने वाले खर्चे के भुगतान का एक संघटग है, परन्तु यह कहना कि धारा 31 (8) सपठित धारा 31 ए द्वारा समझौता के अंतर्गत निर्धारित शुल्क को नियंत्रित करती है, गलत होगा।

अपीलों का निस्तारण करते हुये न्यायालय द्वारा यह पारित किया गया किः-

1. प्रश्नगत मामले में पक्षकारों के मध्य हुये करार/समझौता के अंतर्गत शुल्क अनुसूची का विनिश्य किया गया। चूंकि उपरोक्त शुल्क अनुसूची २००४ में पारित परिपत्र पर अधारित थी तथा करार की तिथि से करार के अंतर्गत विवादों कि तिथि के मध्य लंबी समय अवधि बीत जाने के पश्चात के साथ उपरोक्त अनुसूची का संशोधन किया जाना आवश्यक था। अतः पूर्व शुल्क अनुसूची का संशोधन करते हुये, परिपत्र दिनांकित 01.06.2017 के अंतर्गत जारी शुल्क अनुसूची लागू होगी और मध्यस्थ अपना शुल्क अनुसूची के अनुसार पाने के अधिकारी होंगे, न की माध्यस्थम् अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची के अनुसार। [पैरा 12] [1007-ए-सी]

2. उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थों को हटाने के आशय से इस कथन के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कि उनका जनादेश समाप्त हो जाना चाहिए, यह पूर्ण रूप से निराधार है तथा मात्र इस आधार पर पोषणीय नहीं है कि मध्यस्थ विधिक रूप से अपने कार्यों को करने के लिये असमर्थ है क्योंकि मध्यस्थ द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि करार द्वारा मध्यस्थम् शुल्क नियंत्रित किया जायेगा, परन्तु वे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग बनाम गायत्री झांसी रोडवेज लिमिटेड के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य थे, जिसमें स्पष्ट रूप से यह पारित किया गया था कि चतुर्थ अनुसूची को अनिवार्य किया गया था और समझौता नहीं होगा। [पैरा 13] [1007-सी-डी]

3. हालांकि, एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष, कि माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा

31 (8) सपठित धारा 31 ए की भाषा, खर्चे से संबंधित है न की मध्यस्थ के शुल्क से, विधिक रूप से सही है। यह सत्य है कि मध्यस्थ शुल्क भुगतान किये जाने वाले खर्चों का एक अंग है, परन्तु यह कहना नितांत असंगत होगी कि धारा 31 (8) और 31 ए द्वारा उन करारों/समझौतों को नियंत्रित किया जायेगा, जिनके अंतर्गत शुल्क संरचना पहले से ही निर्धारित की जा चुकी है। इस हद तक, एकल न्यायाधीश का उपरोक्त निष्कर्ष सही है। गायत्री झाँसी रोडवेज लिमिटेड के मामले में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विधि व्यवस्था उचित नहीं है। [पैरा 15] [1007-एफ-एच]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील नं० 5383/2019

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ए०आर०बी०ए० सं० 1/ 2017 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 11.09.2017 सेमय सिविल अपील सं० 5384/2019।

पी०एस० नरसिम्हा, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्तागण , मनीष के० बिश्नोई, अर्चित गुप्ता, प्र शांत कुमार, सुश्री अवंतिका मनोहर, मैसर्स एपी एंड जे चेम्बर्स, भरत सिंह, बालेन्दु शेखर, सुश्री सिंधूर वीएनएल, राहुल तनवानी, संतोष कुमार - I, कौशिक लईक, अंगद मेहता, पी. एस. सुधीर, सुश्री ऐनी मैथ्यू, सईद मरज़ुक बाफाकी, पक्षकारों की ओर से अधिवक्तागण ।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर०एफ० नरिमन द्वारा पारित किया गया

सिविल अपील सं० 5384/2019

(एस०एल०पी० (सी) सं० 22099/2018 से)

1. अनुमति दी गई ।

2. वर्तमान अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैंः-

3. अपीलकर्ता और प्रतिवादी के मध्य समझौता दिनांकित 07.02.2006 निष्पादित किया गया । प्रश्नगत मामले के लिए यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि जहाँ तक विवाद के निपटारे का प्रश्न है तो, माध्यस्थम् खंड द्वारा पक्षकारों को तीन मध्यस्थों द्वारा मध्यस्थता हेतु संदर्भित किया गया - जिसमें से प्रत्येक पक्ष द्वारा एक मध्यस्थ नियुक्त किया जायेगा तथा तीसरा मध्यस्थ उपरोक्त दोनों मध्यस्थ द्वारा नियुक्त किया जायेगा। उपरोक्त करार के अनुच्छेद 5 इस प्रकार हैः

"5. मध्यस्थता खंड के अनुसार मध्यस्थों द्वारा पक्षकारों के मध्य करार से उत्पन्न विवाद का निर्धारित प्रक्रिया द्वारा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को संदर्भित किये जाने हेतु, पारिश्रमिक एवं अन्य मध्यस्थों को देय व्यय, निम्नवत होगाः-

I. प्रत्येक मध्यस्थ को प्रतिदिन देय शुल्क की अधिकतम सीमा रु 5000/- होगी, जोकि किसी भी मामले में अधिकतम रु 1.5 लाख होगी।

II. प्रत्येक मध्यस्थ को प्रति मामले में रु 6000/- की पठन फीस का भुगतान किया जाएगा।

III. प्रत्येक मध्यस्थ को प्रति मामले में सचिवीय सहायक के माध्यम से रु 5000/- का भुगतान किया जाएगा।

IV. प्रत्येक मध्यस्थ को टेलीफोन, फैक्स, डाक आदि जैसे आकस्मिक शुल्क के लिए प्रति मामले में रु 6000/- का भुगतान किया जाएगा।

V. बिल प्रस्तुत किये जाने के आधार पर अन्य खर्च, प्रत्येक मध्यस्थ को निम्नलिखित सीमा के अधीन प्रतिपूर्ति की जाएगी (केवल सुनवाई के दिवस के लिए लागू)

(a) यात्रा व्यय - इकनौमी वर्ग (हवाई मार्ग से), प्रथम श्रेणी एसी (ट्रेन से) और एसी कार (सड़क मार्ग से)।

(b) ठहरने एवं भोजन का व्यय - मेट्रो शहरों (दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता) में रु 8000/- प्रतिदिन, अन्य शहरों में रु 5000/- प्रतिदिन या रु 2000/- प्रतिदिन यदि किसी मध्यस्थ द्वारा स्वंय का इंतजाम किया जाता है।

(c) स्थानीय यात्रा - रु700/- प्रतिदिन

VI. माध्यस्थम् पंचाट प्रकाशित करने के लिए अधिकतम रु 10,000/-

VII. असाधारण मामलों में, जैसे कि प्रमुख कानूनी निहितार्थ/व्यापक प्रभाव/उच्च वित्तीय दांव आदि से संबंधित मामलों में एक विशेष शुल्क कि संरचना ठेकेदार/पर्यवेक्षक सलाहकार से परामर्श करके एवं मध्यस्थ की नियुक्ति से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकराण के अध्यक्ष के विशिष्ट अनुमोदन के साथ तय की जा सकती है।

4. प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पीएस नरसिम्हा, द्वारा न्यायालय को अवगत कराया गया कि जो शुल्क अनुसूची तय की गई थी, वह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 31.05.2004 के नीतिगत निर्णय के तहत तय की गई थी, जिसके अवलोकन से उपरोक्त तथ्य का समर्थन होता है ।

5. दिनांक 23.05.2017 को पक्षकारों के मध्य करार निष्पादित होने के पश्चात विवाद उत्पन्न होने पर मामले में माध्यस्थम् का आह्वान किया गया था। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित 14.07.2017 द्वारा श्री सुदेश धीमान को अपना नामित मध्यस्थ नियुक्त करते हुए इस तथ्य से अवगत कराया गया कि मध्यस्थ शुल्क एन०एच०ए०आई० के परिपत्र दिनांकित 01.06.2017 के अनुसार लागू होगा। उपरोक्त परिपत्र द्वारा 2004 के परिपत्र को प्रतिस्थापित किया गया, जिसके अंतर्गत मध्यस्थ को किसी भी रु. 100 करोड़ के दावे के लिए, रु 25,000 प्रतिदिन के साथ-साथ अन्य शुल्क या एक मुश्त शुल्क रु 5 लाख प्रति मामले का प्राप्त होगा, जिसमें काउंटर दावा भी शामिल रहेगा।

6. प्रश्नगत मामला आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष आया, जो तब तक गठित था, जिसमें ट्रिब्यूनल द्वारा आदेश दिनांकित 23.08.2017 पारित किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया

"1.12.1 शुल्कः

(क) दावेदार द्वारा अवगत कराया गया कि पक्षकारों के मध्य आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल/ माध्यस्थम् अधिकरण के शुल्क के संबंध में कोई भी करार नहीं हुआ था।

(ख) प्रतिवादी द्वारा अनुरोध किया गया कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल/ माध्यस्थम् अधिकरण के शुल्क का निर्धारण एन०एच०ए०आई० द्वारा दिनांक 01.06.2017 को जारी परिपत्र में दिये गए निर्देशों के अनुरूप निर्धारित किया जाये।

(ग) ट्रिब्यूनल द्वारा इस मामले पर विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल/ माध्यस्थम् अधिकरण को देय शुल्क माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 की चतुर्थ अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

7. उपरोक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित 13.10.2017 ट्रिब्यूनल के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि मध्यस्थता शुल्क करार द्वारा तय किया गया था और इसलिए माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की चतुर्थ अनुसूची के अनुसार शुल्क तय नहीं किया जाना चाहिये, अपितु वर्ष 2017 की नीति के अनुसार शुल्क तय किया जाना चाहिये। यह मामला 30.01.2018 को पुनः ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत हुआ ट्रिब्यूनल द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गयाः-

"3.8 प्रतिवादी द्वारा शुल्क की समीक्षा हेतु, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा तय किया गया था, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये शुल्क को एनएचएआई के परिपत्र दिनांकित 01.06.2017 के संदर्भ में शुल्क को संशोधित किये जाने हेतु प्रार्थना की गई। न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि दावेदार द्वाराअनजाने में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को पैरा 1.12.1 (ए) के अनुसार सूचित किया गया था कि पक्षकारों के मध्य आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के शुल्क को लेकर कोई करार नहीं हुआ था। वास्तव में, करार के अनुसार पक्षकारों की सहमति के आधार पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का शुल्क एक निश्चित दर पर होगा। इस बिन्दू पर उभय पक्षकार द्वारा मौखिक तर्क प्रस्तुत किये गये। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा इस मामले पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि संशोधित अधिनियम में नवीनतम प्रावधान,के अनुसार पक्षकारों के समझौते होने के बावजूद भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शुल्क निश्चित करने हेतु सक्षम है। यह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एनएचएआई बनाम गायत्री झाँसी रोडवेज के मामले में पारित निर्णय दिनांकित 11.09.2017 के के अनुसार है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा दोहराया कि 1' सुनवाई में तय शुल्क का पालन किया जाएगा। तदनुसार, शुल्क को संशोधित माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की चतुर्थ अनुसूची ' के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

8. उपरोक्त आदेश के पश्चात प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 14 के अंतर्गत दिनांक 08.05.2018 को मध्यस्थों के जनादेश को समाप्त करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है, प्रतिवादी के अनुसार, मध्यस्थों द्वारा जानबूझकर पक्षकारों के मध्य करारा/समझौते की अवहेलना की जिसके कारण वे आगे की कार्यवाही अग्रसारित करने के लिये विधिक रूप से असक्षम है।

9. इसी दौरान, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने आदेश दिनांकित 19.07.2018 पारित किया ट्रिब्यूनल को किसी भी शुल्क के भुगतान पर कोई आपत्ति नहीं है, जैसा उच्च न्यायालय दिल्ली के समक्ष लंबित कार्यवाही में निर्णीत किया जायेगा।

10. विद्वान एकल न्यायाधीश, द्वारा पारित आलोच्य निर्णय, में पक्षकारों के मध्य करार के खंड 5 का उल्लेख करते हुये यह निर्धारित किया गया कि माध्यस्थम् अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची अनिवार्य न होने के कारण, करार/समझौते में मध्यस्थ के शुल्क के संबंध में जो भी शर्तें निर्धारित की गई हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए। ऐसा करते हुए, उनके द्वारा एक अन्य विद्वान एकल पीठ के निर्णय दिनांकित 11.09.2017 से असहमति व्यक्त की, जिसमें, एकल पीठ द्वारा यह पारित किया गया था कि माध्यस्थम् अधिनियम की धारा 31 (8) और धारा 31 ए इस तरह के मामलों को नियंत्रित करेगी और चूंकि अभिव्यक्ति "जब तक कि पक्षकार द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है" 2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 31 ए से हटा

दिया गया है, मध्यस्थ का शुल्क मध्यस्थता अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची के अनुसार तय किया जाना पक्षकारों के मध्य हुये करार/समझौते का उल्लंघन होगा।

11. आलोच्य निर्णय द्वारा उपरोक्त विचार से घोर असहमति प्रस्तुत करते हुये उक्त निर्णय को *पर - इनक्यूरियम* बताते यह पारित किया किः-

> *"25. उपरोक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 31 (8) और 31 ए के अंतर्गत "खर्चे" से अभिप्राय खर्चों से है जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा अपने पंचाट(अवार्ड) के हिस्से के रूप में एक पक्ष के हक में और दूसरे के खिलाफ प्रदत्त किया जाता है।*
>
> *26. धारा 31 ए में यदि "केवल जब तक कि पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति न दी जाए" शब्दों का विलोपन किये जाने पर यह संकेत मिलता है कि पक्षकार करार/समझौते के माध्यम से खर्चे के भुगतान न किये जाने के संबंध में कोई अनुबंध नहीं कर सकते हैं और आर्बिट्रल ट्रीबयूनल को सफल पक्षकार के पक्ष में खर्चे प्रदान करने से निरावृत नहीं कर सकता है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय द्वारा गायत्री झाँसी रोडवेज लिमिटेड(सुप्रा) में पारित निर्णय का उल्लेख किया गया, जिसमें उपरोक्त निर्णयों अथवा विधि आयोग की आख्या को दृष्टिगत नहीं रखा गया है। अतः उपरोक्त निर्णय पर - इनक्यूरियम है। इस न्यायालय को अवगत कराया गया कि उपरोक्त निर्णय को विशेष अनुमति याचिका के द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है,जोकि लंबित है । उक्त निर्णय अपील में अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत पारित किया गया जिसमें धारा 14 के संदर्भों पर विचार नहीं किया गया"।*

12. न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुना गया। न्यायालय के मत में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरसिम्हा, द्वारा मामले के सही तथ्यों का उल्लेख करते हुये उल्लेख किया गया जिसके अनुसार शुल्क अनुसूची, वास्तव में, पक्षकारों के मध्य करार/समझौते द्वारा निश्चित की गई थी। उपरोक्त शुल्क अनुसूची वर्ष 2004 के पूर्व परिपत्र पर आधारित होने के कारण, करार की तिथि और विवादों की तिथि के बीच लंबी अवधि को दृष्टिगत रखते हुये, को संशोधित किया जाना आवश्यक है। अतः यह पारित किया जाता है कि शुल्क अनुसूची, जो परिपत्र दिनांक 01.06.2017 में निहित है, जिसके द्वारा पूर्व शुल्क अनुसूची को प्रतिस्थापित किया गया है, अब संचालित होगी और मध्यस्थ अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची के अनुसार शुल्क के पाने के अधिकारी नहीं होंगे, अपितु नवीन अनुसूची के अनुसार शुल्क पाने के अधिकारी होंगे।

13. उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थों को हटाने के आशय से इस कथन के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कि उनका जनादेश समाप्त हो जाना चाहिए,यह पूर्ण रूप से निराधार है तथा मात्र इस आधार पर पोषणीय नहीं है कि मध्यस्थ विधिक रूप से अपने कार्यों को करने के लिये असमर्थ है क्योंकि मध्यस्थ द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि करार द्वारा मध्यस्थम् शुल्क नियंत्रित किया जायेगा, परन्तु वे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग बनाम गायत्री झांसी रोडवेज लिमिटेड के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य थे, जिसमें स्पष्ट रूप से यह पारित किया गया था कि चतुर्थ अनुसूची को अनिवार्य किया गया था और समझौता नहीं होगा।। [पैरा 13] [1007-सी-डी]

14. मध्यस्थों द्वारा मात्र उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा निर्धारित कानून का पालन किया गया और उस आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि मध्यस्तो द्वारा कोई गलती की गई जिसकी वजह से उनके जनादेश को समाप्त कर दिया जाये क्योंकि वह अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो गए हैं। विद्वान एकल पीठ द्वारा धारा 14 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में त्रुटि की गई है और इसलिये यह न्यायालय विद्वान एकल पीठ के निर्णय अपास्त करती है।

15. हालांकि, एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष, कि माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 31 (8) सपठित धारा 31 ए की भाषा, खर्चे से संबंधित है न की मध्यस्थ के शुल्क से, विधिक रूप से सही है। यह सत्य है कि मध्यस्थ शुल्क भुगतान किये जाने वाले खर्चों का एक अंग है, परन्तु यह कहना दूरदर्शिता होगी कि धारा 31 (8) और 31 ए द्वारा उन करारों/समझौतों को नियंत्रित किया जायेगा, जिनके अंतर्गत शुल्क संरचना पहले से ही निर्धारित की जा चुकी है। इस हद तक, एकल न्यायाधीश का उपरोक्त निष्कर्ष सही है। गायत्री झाँसी रोडवेज लिमिटेड के मामले में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विधि व्यवस्था उचित नहीं है।

16. उपरोक्त अवलोकन के आधार पर यह अपील स्वीकृत की जाती है, आलोच्य निर्णय को अपास्त किया जाता है और मध्यस्थों को निर्देशित किया जाता है कि वे मध्यस्थता की कार्यवाही को शीघ्र अतिशीघ्र अग्रासारित करना सुनिश्चित करें।

17. यह न्यायालय पक्षकारों की सहमति से समयावधि को आज कि तिथि से एक वर्ष की अवधि बढ़ाते हुये, मध्यस्थों को निर्देशित करता है कि वह प्रश्नगत मामले में माध्यस्थम् पंचाट (आर्बिट्रल अवार्ड) पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

सिविल अपील सं० 5383/2019

(विशेष अनुमति याचिका (सी) सं० 3211/ 2018

1. सिविल अपील संख्या 2019 के 5384, में पारित निर्णय को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नगत मामले में आलोच्य निर्णय़ दिनांकित 11.09.2017 को अपास्त किया जाता है। यद्यपि, निर्णय को अपास्त किये जाने का कोई प्रभाव पक्षकारों के मध्य अंतिम पंचाट(अवार्ड) पर नहीं होगा, जिसे इस न्यायालय द्वारा पुष्ट किया गया है।

2. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

अपील निस्तारित।

This Judgement is translated by Garima Singh J.M. 1st Court No. 25, Shahjahanpur which is true and correct.